दखलंदाजी नहीं करें। तथा भूमि को रहन बैय आदि द्वारा मुन्तकिल करने से बाज व मुनन रहें।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरीये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण की ओर से राजीनामा प्रस्तुत किया गया। जिसे तस्दीक शामिल मिसल किया गया। राजीनामा प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वाद पत्र की मद सं0 1 स्वीकार हैं। वाद पत्र की मद सं0 2 स्वीकार है। चक 51 जीजी की जमाबन्दी सम्वत 2070–2073 के खाता सं0 74/73 के मुरबा नं0 28 में 1.189 है0 व खाता सं0 13/12 के मुरबा नं0 12 में 1.771 है0,खाता सं0 55/49 के मुरबा नं0 19 में 2.681 है0, खाता सं0 47/42 के मुरबा नं0 22, 26, 33 में 10.348 है0 में से 1/3 हिस्सा यानि 3.449 है0, खाता सं0 14/13 के मुरबा नं0 20 में 0.463 है0 कुल 9.553 है0 भूमि वादी के पिता अमृतपाल सिंह पुत्र हसंराज जाति जटसिख निवासी 51 जीजी तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर के नाम से दर्ज कागजात है। वाद गत की मद सं0 3 स्वीकार है। चक 51 जीजी की जमाबन्दी सम्वत 2070–2073 के खाता सं0 74/73 के मुरबा नं0 28 में 1.189 है0 व खाता सं0 13/12 के मुरबा नं0 12 में 1.771 है0,खाता सं0 55/49 के मुरबा नं0 19 में 2.681 है0, खाता सं0 47/42 के मुरबा नं0 22, 26, 33 में 10.348 है0 में से 1/3 हिस्सा यानि 3.449 है0, खाता सं0 14/13 के मुरबा नं0 20 में 0.463 है0 कुल 9.553 है0 भूमि वादी के पिता अमृतपाल सिंह पुत्र श्री हसंराज के नाम से दर्ज है उक्त भूमि प्रतिवादी को अपने पिता हसंराज सिंह से विरास्तन प्राप्त हुई है। जो कि प्रतिवादी सं0 1 के पिता हसंराज सिह द्वारा खरीद करके प्रतिवादी सं0 1 के नाम से दर्ज करवाई गई है। वाद पत्र की मद सं0 4, 5, 6, 7, 8, 9 स्वीकार है व वाद पत्र की मद सं0 10, 11 कानूनी है। अतः राजीनामा पेश कर निवेदन है कि चक 51 जीजी की जमाबन्दी सम्वत 2070–2073 के खाता सं0 74/73 के मुरबा नं0 28 में 1.189 है0 व खाता सं0 13/12 के मुरबा नं0 12 में 1.771 है0,खाता सं0 55/49 के मुरबा नं0 19 में 2.681 है0, खाता सं0 47/42 के मुरबा नं0 22, 26, 33 में 10.348 है0 में से 1/3 हिस्सा यानि 3.449 है0, खाता सं0 14/13 के मुरबा नं0 20 में 0.463 है0 कुल 9.553 है0 भूमि में से वादी पिता के साथ बतौर पुत्र 1/3 हिस्सा यानि 3.317 है0 भूमि की घोषणा की जाकर खातेदार मालिक घोषित किया जाकर दावा डिक्री किया जावें। हम प्रतिवादीगण को कोई आपत्ति नहीं है। हम प्रतिवादीगण पूर्ण रूप से सहमत है इसी अनुसार दावा डिक्री फरमाया जावें।

20
(सुभाष कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
पदमपुर (राज०)

पत्रावली का अवलोकन किया गया। राजीनामा का अवलोकन किया गया। राजीनामा अनुसार वादी का वाद पत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः वादी का वाद

Signature Not Verified
Digitally signed by Subhash Kumar
Date: 2019.12.30 12:31:49 IST
Reason: SelfAttested